

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

[25/6/2018]


प्रश्न सं. [क. 402]

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा प्रश्न क. 402 तारांकित की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	मण्डी समिति का नाम
1.	रीवा	रीवा
2.	अकोदिया	शाजापुर
3.	रतलाम	रतलाम
4.	रतलाम	सैलाना
5.	राजगढ़	नरसिंहगढ़
6.	विदिशा	लटेरी


अनुभाज अधिकारी
मध्य प्रदेश विपणन,
किसान कल्याण विभाग, भोपाल,


उप संचालक (योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

परिशिष्ट "ब"

विधानसभा प्रश्न क. 402 तारांकित की जानकारी


क्र.	मण्डी का नाम	कृषक का नाम	परिजन का नाम	मुआवजा राशि	भुगतान दिनांक
1	रीवा	श्री सुरेन्द्र पटेल	श्रीमती रामरती पटेल पत्नी स्व.श्री सुरेन्द्र पटेल	4.00 लाख	30.05.2018
2	अकोदिया	श्री सिद्धनाथ	श्रीमती सुशीला बाई पत्नी स्व.श्री सिद्धनाथ	4.00 लाख	28.05.2018
3	रतलाम	श्री वंशीलाल	पिता श्री भैरूलाल	1.00 लाख	01.05.2016


अनुमान सिंह
सचिव
किसत विभाग
भोपाल


उप संचालक(योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

विधानसभा प्रश्न क्र. 402 तारांकित की जानकारी

क्र.	मण्डी का नाम	जिला	कृषक का नाम	मुआवजा नहीं दिये जाने का कारण
1	सैलाना	रतलाम	श्री सुखदेव पिता रतनलालजी	कृषि उपज मण्डी समिति सैलाना में कृषक राजस्थान का निवासी होने के कारण मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया ।
2	नरसिंहगढ़	राजगढ़	—	कृषक श्रीमती गायत्री बाई के पुत्र श्री ओमप्रकाश पाटीदार के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक-1609/प्रवाचक/18 दिनांक 24.05.2018 से मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है, भुगतान की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय जिला राजगढ़ में प्रक्रियाधीन है।
3	लटेरी	विदिशा	—	कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी जिला विदिशा में मण्डी प्रांगण के बाहर दिनांक 17.05.2018 को कृषक श्री जगदीश मैना के पिता श्री मूलचन्द मैना की असमायिक मृत्यु हुई जिसमें मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा दिनांक 09.06.2018 को राशि रूपये 4.00 लाख स्वीकृत किया गया है, भुगतान की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय जिला विदिशा में प्रक्रियाधीन है।


 उप संचालक(योजना)
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
 भोपाल.


 उप संचालक
 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
 भोपाल.